संख्या– 284 /VI/2005–76(पर्य0)/2004

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अनुसचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक, पर्यटन,
उत्तरांचल, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग

देहरादून दिनांक 28 मार्च, 2005

विषयः–श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में डेन्सिफिकेशन प्लांट/लम्पिग प्लांट लगाये जाने हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक गढ़वाल मण्डल विकास निगम के पत्र संख्या–376/ई0अनु0 9 दिनांक 22–07–2004 (छायाप्रति संलग्नक सहित संलग्न) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय श्रीनगर, पौडी गढ़वाल में डेन्सिफिकेशन प्लांट/लम्पिग प्लांट स्थापित किये जाने हेतु रू0 33.09 लाख के आगणनों के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रूपये 29.35 लाख (रूपये उन्नतीस लाख पैतीस हजार मात्र)की लागत के आगणनों पर प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति सहित चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में इतनी ही धनराशि को डिपाजिट के रूप में आहरित कर व्यय करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें ।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें ।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जए ।

10– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

11– यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।

12– कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिया जायेगा और विलम्ब व अन्य कारणों से इसकी लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा ।

13– कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण किया जायेगा और इसका मासिक व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

14– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्वता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

15– उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि में से रू0 1.00 लाख राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तरांचल को उक्त प्लांट के अनुश्रवण एवं डोकेमेन्टेशन के लिए गढवाल मण्डल विकास निगम द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ।

16– उक्त प्लांट की स्थापना के उपरान्त इसके संचालन एवं रखरखाव का दायित्व राज्य प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड का होगा।

17– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–49–पर्यटन विकास की नई योजनाएं–24–वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

18– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0–1149/वित्त अनु0–3/2005, दिनांक 24 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव ।

संख्या– 284/VI/2004–76(पर्य0)/2004तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, पौड़ी।
4– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पौड़ी।
5– वित्त अनुभाग–3,
6– श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
7– अपर सचिव, नियोजन।
8– प्रबन्ध निदेशक गढवाल मण्डल विकास निगम, देहरादून ।
9– निजी सचिव मा0 मुख्यमन्त्री जी, उत्तरांचल शासन।
10–निजी सचिव मा0 पर्यटन मन्त्री जी, उत्तरांचल शासन ।
11–निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल।
12–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव ।

280305.011.PDF